रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)—78 REGISTERED NO. D-(D)-78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 16, 1978 (अग्रहायण 25, 1900)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 16, 1978 (AGRAHAYANA 25, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	887
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1677
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1247
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	2845
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	3345
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	351
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	7683
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	855
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	177
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	2531
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस .	205

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	887
ART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1677
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1247
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2845
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3345
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	351
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	7683
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	855
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	177
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2531
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies	205

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली दिनांक 30 नवम्बर 1978

संकल्प

सं० पी० सी० (पी०) 17/एन० सी० डी० बी०/78-एम० आई० पी०—सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में कुछ नीतियों और कार्यक्रमों को चौथी पंच वर्षीय योजना से ही अपनाती आ रही है। अब यह आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों की समीक्षा की जाए तथा 1978-83 की योजना के प्रारूप में निर्धारित की गई नई प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के संदर्भ में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उपयुक्त कार्यनीति या कार्यनीतियां निश्चित की जाएं। इसलिए योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं को प्रभावी रूप में हल करने के लिए उपयुक्त कार्यनीति या कार्यनीतियां तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित करने का निर्णय किया है। यह समिति पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित राष्ट्रीय समिति कहलाएगी। इसकी सदस्यता और विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं :—

सदस्यता

अध्यक्ष :

1. श्री बी० शिवरामन, सदस्य, योजना आयोग।

सदस्य :

2. श्री सोम दत्त, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग।
3. प्रोफेसर मृणाल दत्त चौधरी, दिल्ली स्कूल आफ इकानामिक्स।
4. श्री एस० एस० मराठे, सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।
5. श्री रणछोड़ प्रसाद, सलाहकार, औद्योगिक विकास विभाग, बिहार सरकार।
6. श्री रामकृष्णय्या, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक।
7. श्री के० पी० ए० मेनन, अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय।
8. डा० आर० एन० होनाथर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।
9. डा० एस० ए० दवे, कार्यकारी निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक।
10. डा० वाई० नायुडम्मा, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास।
11. श्री आनंद स्वरूप, सचिव, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
12. डा०बी०डी० शर्मा, जनजातीय विकास आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार।
13. श्री सुरेश माथुर, विकास आयुक्त, मणिपुर।
14. डा० डी० एम० नजुदप्पा, सचिव, योजना विभाग, कर्नाटक सरकार।

सदस्य-सचिव :

15. श्री नितिन देसाई, परामर्शदाता, योजना आयोग।

यदि समिति आवश्यक समझे तो उप दल गठित कर सकेगी और सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी।

विचारार्थ विषय :

1. वर्तमान नीति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिभाषाओं में निहित पिछड़ेपन की विभिन्न संकल्पनाओं की सुसंगति की जांच करना और उन मापदण्डों की सिफारिश करना जिनके आधार पर पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

2. निम्नलिखित के कार्यकरण की समीक्षा करना :

(क) पिछड़े क्षेत्रों की सामान्य विकासात्मक समस्याओं का हल करने के लिए जन जातीय उप-योजनाओं पहाड़ी क्षेत्रों की योजनाओं आदि जैसी वर्तमान योजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा करना, और

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रियायती वित्त, निवेश सहायता, परिवहन सहायता, बिक्री कर की रियायतों आदि के लिए स्कीमों जैसी वर्तमान स्कीमों के कार्यकरण की समीक्षा करना सूखा-प्रवण क्षेत्र का क्रम जैसी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ऐसी ही स्कीमों के कार्यकरण की समीक्षा करना, और गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य उपायों की समीक्षा करना जिससे कि पिछड़ेपन को दूर करने में उनकी प्रभावकारिता का पता लगाया जा सके ; और

3. पिछड़े क्षेत्रों की समस्या को प्रभावी रूप में हल करने के लिए उपयुक्त कार्यनीति या कार्य नीतियों की सिफारिश करना और यदि आवश्यक हो तो उनको क्षेत्रों के अनुसार, कारणों के अनुसार या निर्धारित उपायों के अनुसार वर्गीकृत किया जाए।

समिति आवश्यकताओं के अनुसार पिछड़े-क्षेत्र के विकास के किसी भी पक्ष से संबंधित किसी भी अध्ययन को विशेषज्ञ निकायों द्वारा करवा सकेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा। समिति के अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार समिति के सभी सदस्यों की या उसके कुछ सदस्यों की बैठकें जितनी बार आवश्यक समझें नई दिल्ली में या किसी भी अन्य स्थान में हो सकेंगी।

समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31 दिसम्बर 1979 तक प्रस्तुत कर देगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए और आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

योगेन्द्रमोहन, निदेशक (प्रशासन)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 1978

संकल्प

सं० एफ० 8/4/78-एन० एस० —इस मंत्रालय के दिनांक 27 मई 1978 के संकल्प संख्या एफ० 8(4)/78-एन० एस० में आंशिक संशोधन

करते हुए, जिसमें बचतें आदि जुटाने के लिये अल्प बचत योजनाओं और वाणिज्यिक बैंकों की योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की गई थी, विशेषज्ञ दल अपनी सिफारिशें सरकार को 31 दिसम्बर, 1978 को पेश कर सकता है ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति विशेषज्ञ दल के सदस्यों को भेज दी जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सादान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय ।

एम० रामानाथन, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 1978

सं० जे० 20011/200/77 डब्ल्यू० एफ०—यतः भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष अभिकरण अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का सदस्य है ।

यतः जिनेवा में 1975 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय प्रशासनिक निम्न आवृत्ति/मध्यम आवृत्ति पट्टी प्रसारण सम्मेलन के अन्तिम निष्कर्षों के अनुसार क्षेत्र 1 और 3 में मध्यम आवृत्ति पट्टी और क्षेत्र में निम्न आवृत्ति पट्टी में प्रसारण सेवा द्वारा आवृत्तियों के प्रयोग के बारे में करार हो गया है ।

अस्तु, अब, सार्वजनिक जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने सन 1975 में जिनेवा में हुए निम्न आवृत्ति/मध्यम आवृत्ति प्रसारण के क्षेत्रीय प्रशासनिक सम्मेलन के अन्तिम निष्कर्षों को, बिना किसी दुराव के, स्वीकार कर लिया है ।

एम० के० राव, उप-तेतार सलाहकार

डाक तार बोर्ड

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 नवम्बर 1978

संकल्प

सं० ई० 12016/1/73-हिन्दी-क—इस कार्यालय के तारीख 16-11-78 के इसी सख्या के सकल्प के सिलसिले में, भारत सरकार सहर्ष श्री अमृत राय को डाक तार हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त करती है ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक-सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

कुलदेव नारायण सिह, सचिव, डाक तार बोर्ड

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 30th November 1978

RESOLUTION

No. PC(P)17/NCDB/78-MIP.—The Government have been pursuing certain policies and programmes in regard to the development of backward areas since the Fourth Five Year Plan. It is now necessary to review the working of these various programmes and to set out a suitable strategy or strategies for the development of backward areas in the context of new priorities and objectives set out in the draft 1978-83 Plan. The Planning Commission have, therefore, decided to set up a high level Committee to formulate appropriate strategy or strategies for effectively tackling the problems of backward areas. The Committee will be termed the National Committee on the Development of Backward Areas. Its composition and terms of references are as set out below :

COMPOSITION

Chairman

1. Shri B. Sivaraman,
Member, Planning Commission.

Members

2. Shri Som Dutt,
Chairman,
Khadi & Village Industries Commission.

3. Prof. Mrinal Datta Chaudhury,
Delhi School of Economics.

4. Shri S. S. Marathe,
Secretary,
Department of Industrial Development.

5. Shri Ranchor Prasad,
Adviser,
Department of Rural Development,
Government of Bihar.

6. Shri Ramakrishnayya,
Deputy Governor,
Reserve Bank of India.

7. Shri K. P. A. Menon,
Additional Secretary,
Department of Rural Development,
Ministry of Agriculture & Irrigation.

8. Dr. R. N. Honavar,
Chief Economic Adviser,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance.

9. Dr. S. A. Dave,
Executive Director,
Industrial Development,
Bank of India.

10. Dr. Y. Nayudamma,
Central Leather Research Institute,
Madras.

11. Shri Anand Sarup,
Secretary,
Department of Planning,
Government of Uttar Pradesh.

12. Dr. B. D. Sharma,
Tribal Development Commissioner,
Government of Madhya Pradesh.

13. Shri Suresh Mathur,
Development Commissioner,
Manipur.

14. Dr. D. M. Nanjundappa,
Secretary,
Department of Planning,
Government of Karnataka.

Member-Secretary

15. Shri Nitin Desai,
Consultant,
Planning Commission.

The Committee may, if necessary, constitute Sub-Groups and Coopt Members.

Terms of Reference

1. To examine the validity of the various concepts of backwardness underlying the definitions in use for present policy purposes and recommend the criteria by which backward areas should be identified;

2. To review the working of :

(a) Existing plans for dealing with the general developmental problems of backward areas like Tribal sub-Plans, Plans for Hill Areas etc. and

(b) Existing schemes for stimulating industrial development in backward areas such as the schemes for concessional finance, investment subsidy, transport subsidy, sales tax concessions, etc., similar schemes in the agricultural and allied fields like DPAP, and general measures for tackling the problems of poverty and unemployment with a view to find out their efficacy in the removal of backwardness; and

3. To recommend an appropriate strategy or strategies for effectively tackling the problem of backward areas, classified, if necessary, according to areas, causes or prescribed remedies.

The Committee may, depending on the requirements, get any study relating to any aspect of backward area development carried out by expert bodies.

The Head Quarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee as a whole or in part may meet as often as in New Delhi or any other place as may be decided by the Chairman of the Committee.

The Committee will submit its Final Report by 31*st December* 1979.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India for general information.

Y. MOHAN
Director (Administration)

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 23rd November 1978

RESOLUTION

No. F. No. 8/4/78-NS.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. F.8(4)/78-NS dated 27th May, 1978 appointing an Expert Group to make a comparative study of small Savings Schemes and the Schemes of the commercial banks for mobilisation of savings, etc., the Expert Group may submit its recommendation to the Government by the 31st December, 1978.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Members of the Expert Group.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. RAMANATHAN
Addl. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATION

New Delhi-110001, the 22nd November 1978

No. J.20011/200/77-WF.—Whereas India is a member of the International Telecommunication Union, Geneva, a specialised Agency of the United Nations Organisation.

Whereas an Agreement concerning the use by the Broadcasting Service, of frequencies in the Medium Frequency (MF) bands in region 1 & 3 and in the Low Frequency (LF) bands in region 1 was made through the Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference of the International Telecommunication Union held in Geneva in 1975.

Now, therefore, it is for general information that the Government of India have accepted, wthout reservations, the Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference Geneva-1975, effective from 23rd November, 1978.

M. K. RAO
Deputy Wireless Adviser

(P & T BOARD)

New Delhi, the 23rd November 1978

RESOLUTION

No. E-12016/1/73-Hindi-A.—In continuation of this office Resolution of even number dated 16-11-78, the Govt. of India have been pleased to appoint Shri Amrit Rai a member of the Dak Tar Hindi Salahkar Samiti.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to Prime Minister's Secretariat Department of Parliamentary Affairs Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariate and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. N. SINGH
Secy. (P&T Board)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978